e.c. issued
a.n.o.

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

वाद सं0:– 92/2012–13

अन्तर्गत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

अब्दुल लतीफ नदाफ एवं अन्य ....वादीगण

बनाम,

हारूण नदाफ एवं अन्य........................प्रतिवादीगण

–: आदेश :–

26.08.13 यह वाद अब्दुल लतीफ नदाफ वगैरह के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम – 2009 के तहत आवेदन देने पर प्रारंभ किया गया। वाद की प्रविष्टि करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

प्रतिवादी संख्या – 02 ईस्लाम नदाफ अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना प्रतिरोध पत्र सह ब्यान तहरीरी दाखिल किए लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग नहीं लिया गया। अंत में वाद की एकतरफा सुनवाई की गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि–

(1) यह कि पुराने खतियानी रैयत गौसी नदाफ वो भूसी वो मस्तान नदाफ पेसरान बुधन नदाफ के नाम खाता नं0 – 25 खेसरा नं0 – 536 रकबा 1 कट्ठा 3 धूर, 537 रकवा 9 धूर, खेसरा 538 रकबा 5 धूर वो खेसरा 539 रकवा 1 कट्ठा 3 धूर वो 540 रकवा 9 धूर बेलगान करके दर्ज है।

(2) इस तरह खतियानी रैयत पूरे हक वो हकुक के साथ काविज रहते चले आये वो बाद वो प्राप्त उनके वारिसान इनके काबिज चले आ रहे है एवं जिसपर उनका घर द्वार वो बारी झाड़ी है। जिससे विपक्षी या किसी दिगर किसी को कोई सरोकार नहीं है।

(3) विदित हो कि बुधन नदाफ को तीन लड़के हुये। गौसी, मस्तान एवं भूसी उर्फ भरोसी। गौसी नदाफ अपने पीछे जुनैब अली एवं रामजानी को छोड़कर कजा किये। जुनैब अली अपने पीछे तीन लड़के हमीद, फेकन वो डोमी को छोड़कर इन्तकाल किये।

(4) हमीद के दो लड़का हुये मुस्लिम एवं मुरसिल। यहाँ यह कहना लाजमी होगा कि हमीद अपने बाप के रहते याने जुनैव अली के रहते इन्तकाल कर गये। इस तरह मोताबिक हमीद का औलाद महजुब करार हुये और उन्हें कोई हिस्सा जायदाद जुनाव अली में नहीं मिला। यह बात नया सर्वे खतियान खाता 216 खेसरा 955 रकवा 6 डीसमल सिर्फ फेंकन नदाफ वो डोमी नदाफ एक अंश समान वो गौंसी नदाफ पिता बुधन के नाम से मोन्दरज हुआ। इससे साफ जाहिर व साबित होता है कि हमीद को कोई हिस्सा नहीं मिला।

(5) इसी तरह फेकन नदाफ अपने पिछे चार लड़के युसुफ वो जलीलुर रहमान वो अब्दुल लतीफ वो खलील को छोड़कर इन्तकाल कर गये। युसुफ अपने पिछे एक लड़का अलाउद्दीन एवं जलीलुर रहमान अपने पिछे दो लड़का समसुल नदाफ वो मुस्ताक को छोड़कर मरे एवं खलील बिला किसी जकुर या अनास के इन्तकाल किये।

इस तहर आवेदकगण फेकन नदाफ के वारीस है।

(6) डोमी नदाफ अपने पिछे दो लड़के महबुब एवं मोफीद को छोड़कर कजा कर गये। रमजानी अपने पिछे दो लड़के सुभान वो भूट्टा को छोड़कर इन्तकाल किये वो भूट्टा का एक लड़का हबीब हुआ। सुभान अपने हिस्सा अनुसार घर बनाकर काबिज हैं इसलिये इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(7) मस्तान नदाफ अपने भाईयों गौसी नदाफ वो भूसी नदाफ को छोड़कर बिना किसी औलाद के मरे एवं मस्तान के हक हिस्सा पर दोनों भाई कब्जा में आये और अपने इच्छानुसार उपभोग करते चले आये।

(8) भूसी को एक लड़का अलीजान एवं एक दोख्तर मदीना खातुन हुई जिसकी शादी अकलु नदाफ से हुई एवं अलीजान एक लड़के सीराज को छोड़कर मरे एवं सीराज एक लड़का अलाउद्दीन वो एक लड़की बीबी नाजो को छोड़कर इन्तकाल किया।

(9) बीबी मदीना खातुन को अपने शौहर अकलु से चार लडका जमीरूद्दीन मन्सुरी वो नबाब मन्सुरी वो ईद मन्सुरी वो रफीउद्दीन मन्सुरी हुये। ईद मन्सुरी अपने दो लड़के को छोड़कर इन्तकाल किये रहमान मन्सुरी वो बली मन्सुरी।

(10) जमीउद्दीन, नबाब, रफीउद्दीन पेसरान अकलु मन्सुरी एवं रहमान वो बल्ली मन्सुरी पेसरान ईद मन्सुरी वजरिये केवाला दिनांक 29.09.1969 रजिस्ट्री के बहक वो बनाम युसुफ मन्सुरी वो जलील मन्सुरी वो अब्दुल लतीफ मन्सुरी वो खलील मन्सुरी पेसरान फेंकु मन्सुरी के रकबा 14 धूर मद नं0 – 1 आवेदक को लिख दिया।मोताबिक जिसके खरीददार काबिज दखल हुए।

(11) इसी तरह दिनांक 23.05.1972 को वजरिये रजिस्ट्री केवाला अब्दुल रहमान पे0 अलीजान मन्सुरी बहक वो बनाम फेंकन मन्सुरी वाजिव जरसीमन रकवा 5 धूर मद नं0 – 1 की जायदाद से कर दिया जो अलीजान के वारिस है।

(12) इसी तरह बीबी नाजो दोख्तर अली जान वो जौजा मो0 नसरूद्दीन ने दिनांक 15.02.1977 को रकबा 6 धूर 9 कनमा मद नं0 –1 की जायदाद से रजिस्ट्री केवाला सूदे मय मकान वो सहन जलील नदाफ वो लतीफ नदाफ के हाथ कर दिया।

इस तरह आवेदक के मोरिस ने कुल रकवा 1 कट्ठा 5 धूर 9 कनमा मद नं0 –1 की जायदाद में से खरीद कर काबिज दाखिल हुए वो बाद वफात उनके जायज वारिसान आवेदकगण काबिज होकर वो रहकर व अरास्त मकान कुल रकबा खरीदगी वो मरोसी पर साथ कुल हक वो हकुक के काबिज दाखिल है। जिससे किसी दीगर सक्स का कोई इलाका वो सरोकार न था और न है।

(13) उपर के बयानात से यह साबित होता है कि एक आवेदक अलाउद्दीन नदाफ पेसर युनुस नदाफ को महजूब हो जाने के काल मरौसी जायदाद में हक नहीं मिला इस तरह कुल फेंकन की जायदाद में सिर्फ अब्दुल लतीफ एवं जलीलुर रहमान के लड़कों का ही मतलब है।

(14) यह आश्चर्य चकित करने वाली बात है कि सर्वे अमला ने किस तरह नया खाता 44 एवं खेसरा 950 रकबा 1 डीसमल यानी लगभग 5 धूर का खाता विपक्षी के नाम से खोल दिया जो बिल्कुल गैर कानूनी वो कम असल है जिसका सर्वे इन्दराज को खारीज कर आवेदक के नये खाता 216 खेसरा 955 में जोड़ दिया जाय वो न्यायहित में जरूरी है वो इससे साबित है कि मौजा श्यामपुर में जो खाता 44 एतबारी के नाम से खुला है वह बिल्कुल गलत वो बेबुनियाद है।

(15) विदित हो कि नया सर्वे खाता 216 गलती से या धोखा से जुनाव नदाफ के बदले मस्तान नदाफ का नाम मोन्दर्ज हो गया है। जो सही नहीं है। जो कुर्सीनामा जो आवेदन के साथ सिप्त है वो कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है।

अतः निवेदन है कि मस्तान के जगह खाता 78, 216 में जुनाव नदाफ का नाम मरम्मत कर दिया जाय।

लिहाजा अन्दर सूरते वाला से जाहिर से जाहिर वो साबित है कि विपक्षीगण को नया सर्वे खाता 44 खेसरा 250 रकवा 5 धूर 1 डीसमल से निरस्त किया जाय।

प्रतिवादी – 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित ब्यान तहरीरी में कहना है कि–

(1) यह कि मुदैयान मोकदमा हाजा ने जिस उनमान वो गलत व्यानात के आधार पर न्यायालय में मोकदमा दाखिल किया है, चलने के काविल नहीं है।

(2) यह कि मुदैयान मौकदमा हाजा को कोई भी हक या वजह मोकदमा दाखिल करने का नहीं है।

(3) यह कि मोकदमा हाजा कालवाधित है।

(4) यह कि मुदैयान मोकदमा हाजा ने जिस वेना पर मोकदमा दाखिल किया है वह खारीज के लायक है।

(5) यह कि मुदालहुम मोकदमा हाजा पुराना खाता नं0 – 25 पुराना खेसरा नं0 – 536, 537, 538 वो 539 मौजा श्यामपुर थाना – बहेड़ा, जिला -- दरभंगा के खातेदार

के वंशज है वो उसी आधार पर अपना दावा करते है।

(6) यह कि मौजा श्यापुर, थाना – बहेड़ा, जिला – दरभंगा में खाता नं0 – 25 के खतियानी रैयत गौसी नदाफ वो भुसी नदाफ वो मस्तान नदाफ पेसरान वुधन थे। इनलोगो का एक वंशवृक्ष इस ब्यान तहरीरी में दिया जाता है जिससे मुदालहुम मौकदमा हाजा इस वंश से अपना तालुक रखते है, जो निम्न है।

बुधन (खतियानी रैयत)

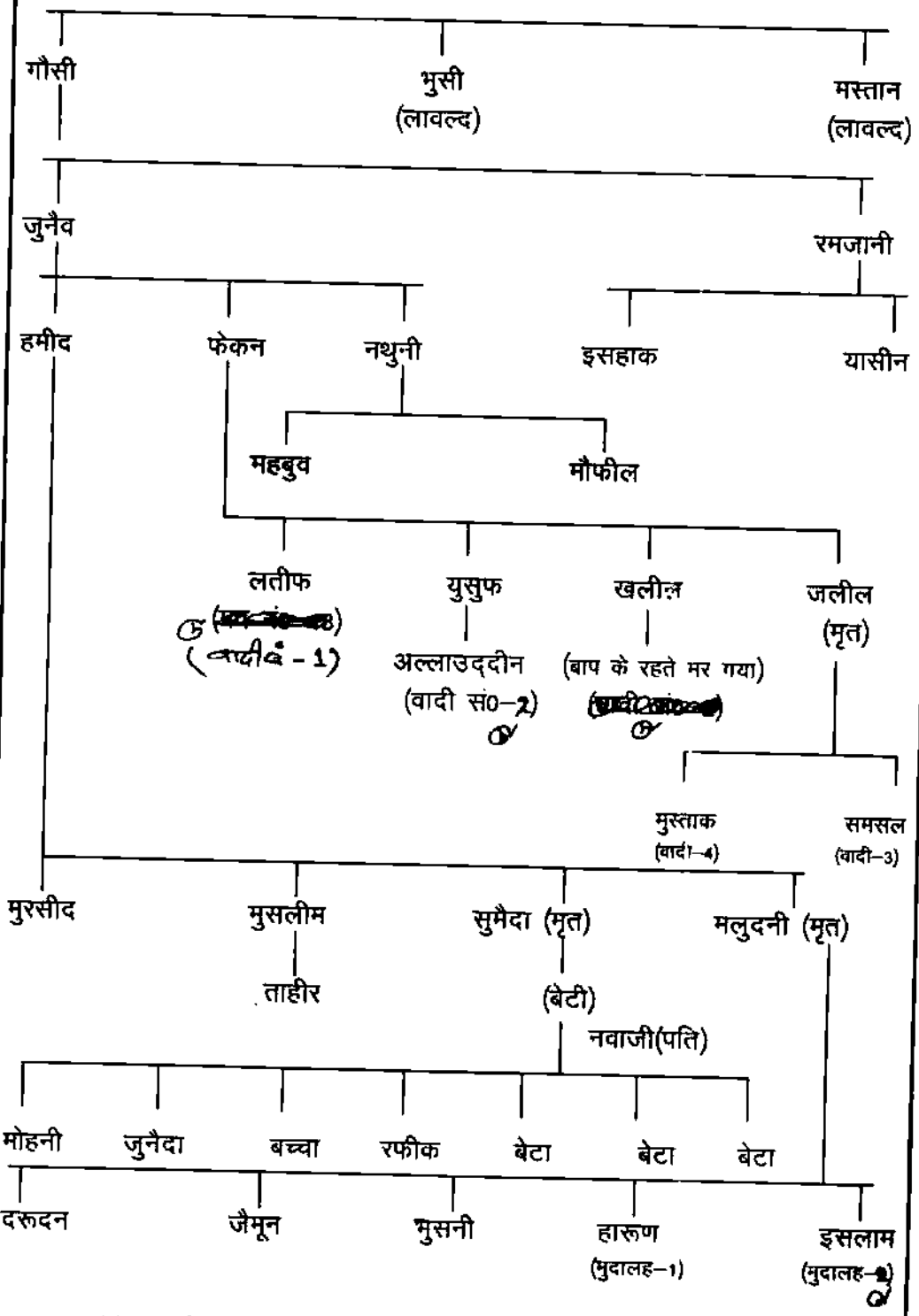

(7) यह कि मुदालह मौकदमा हाजा इस वंशवृक्ष से हमीद की बेटी मुलदनी का लड़का है।

(8) यह कि मुदालहुम मौकदमा हाजा अपने नाना की सम्पति पर हक वो हकियत से कायम है।

धूर होता है जिसमें गौसी के दोनो लड़के जुनैव का आधा वो रमजानी का आधा यानी 1 कट्ठा 14 1/2 धूर करके हिस्सा होता है। वाजे रहे कि वुधन के लड़के मुसी वो मस्तान नावल्द ही मर गये है उनदोनो की सम्पति गौसी को मिली।

(10) यह कि हमीद अपनी लड़की मलुदनी को इतवारी साकिन – गोरखा से शादी करके अपने यहाँ ही वसा लिया वो उसे अपने हिस्से में से यानी 4 1/2 धूर जुवानी अता करके कब्जा दे दिया वो उस पर मलुदनी काविज दाखिल हुई वो उस कब्जा को देखते हुए नया सर्वे अमलेगान ने इतवारी वो मलुदनी के पक्ष में खाता खोला है, जो सही वो दुरूस्त है। इससे किसी दिगर को कोई भी मतलव वो सरोकार नहीं है।

(11) यह कि उपरोक्त कथनी के आधार पर मुदैयान का मोकदमा खारीज के लायक है क्योकि मुदैयान ने जो भी केवाला अपने अर्जीदावी में दिखलाया है, वह सभी जाल फरेब करके तैयार किया गया है, जिसकी कोई भी पावन्दी मुदालहुम मोकदमा हाजा को नहीं है।

इस आधार पर मुदई का मोकदमा खारीज किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, समर्पित लिखित बहस एवं प्रतिवादी संख्या – 2 द्वारा समर्पित ब्यान तहरीरी के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि वाद में स्वत्व न्याय निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है।

अतः वाद की कार्यवाही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम – 2009 की धारा –4 के उपधारा – 5 के आलोक में बंद करते हुए वाद को निष्पादित किया जाता है। पक्षकार उपचारों की याचना हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित ।

26/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेनीपुर, दरभंगा ।

26/8/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेनीपुर, दरभंगा।